राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(8) शिक्षा–2/ 2022 जयपुर, दिनांक : 13/5/2022

Ao-अनुदान
19.05.2022

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

क्र. शिविरा/.../Cont./644

विषय : ग्रेच्यूटी के भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांकः शिविरा/माध्य/अनुदान/ 2022 दिनांक 10.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि ग्रेच्यूटी के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:–

1. (i) राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (x) के अन्तर्गत अनुदानित संस्था में की गई सेवा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु सम्मिलित नहीं होगी। यह कर्मचारी ग्रेच्यूटी का भुगतान सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

   (ii) राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (x) के अन्तर्गत राज्य सेवा में समायोजित कार्मिकों पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 लागू हैं। इन नियमों के अन्तर्गत पूर्व में ग्रेच्यूटी का प्रावधान नहीं था परन्तु वित्त विभाग के मेमोरण्डम दिनांक 06.12.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2004 से एन.पी.एस. के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्मिकों को ग्रेच्यूटी दिये जाने की स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 से 59 के अन्तर्गत दी गई।

   (iii) इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक सम्बन्धित संस्थाओं से उपरोक्तानुसार ग्रेच्यूटी का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कुल सेवा अवधि के लिये 16½ माह की परिलब्धियों अथवा ग्रेच्यूटी राशि जो नियमानुसार अनुज्ञेय है (दिनांक 31.12.2016 तक रूपये 10.00 लाख तत्पश्चात् रूपये 20.00 लाख की सीमा में) जो भी कम हो, ने प्राप्त कर ली गई है तो ग्रेच्यूटी पेटे कोई राशि देय नहीं होगी। पूर्व में की गई समस्त सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों के 16½ गुणा से कम अथवा ग्रेच्यूटी राशि जो नियमानुसार अनुज्ञेय है। (दिनांक 31.12.2016 तक रूपये 10.00 लाख तत्पश्चात् रूपये 20.00 लाख की सीमा में) से कम राशि प्राप्त की है तो सिर्फ अन्तर राशि देय होगी। उदाहरणतः यदि 12 माह की परिलब्धियों के बराबर परन्तु ग्रेच्यूटी पूर्व प्राप्त कर ली गई है तो 4½ माह की परिलब्धियों के बराबर परन्तु ग्रेच्यूटी राशि की अधिकतम सीमा तक तत्समय लागू नियमों के अनुसार ही राशि देय होगी। जिस अवधि में जितनी माह की सेवा ग्रेच्यूटी प्रयोजनार्थ संस्था में की गई थी उस अवधि का भुगतान सम्बन्धित

संस्था द्वारा ही किया जायेगा। राज्य सेवा में समायोजित होने के उपरान्त 16½ माह की परिलब्धियों से कम परिलब्धियों के लिये जो ग्रेच्यूटी राशि की अन्तर राशि नियमानुसार देय बनेगी वह ही राज्य सरकार के मद से भुगतान की जायेगी।

2. यद्यपि स्कूल शिक्षा ने सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित अवकाश के भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन नहीं चाहा है, ग्रेच्यूटी के साथ साथ सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित अवकाश के भुगतान के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 23.06.2020 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों कोयह स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत समायोजन पश्चात् अर्जित उपार्जित अवकाश के अनुपयोजित शेष का सेवानिवृत्ति पर नकद भुगतान राजस्थान सेवा नियम के नियम 91 बी के अनुसार 300 दिवस की सीमा में ही देय है। अतः समायोजन पूर्व अनुपयोजित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित अवकाश का शेष मिला कर 300 दिवस की सीमा में ही भुगतान किया जाये। यदि कार्मिक ने समायोजन पूर्व 300 दिवस का अनुपयोजित अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त कर लिया है तो सेवानिवृत्ति पर कोई भुगतान देय नहीं होगा और यदि 300 दिवस से कम का भुगतान प्राप्त किया है तो शेष दिवस का नकद भुगतान किया जा सकता है। आपके पत्र दिनांक 23.06.2020 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को दी गई उक्त राय की पुष्टि की जाती है।

उक्त राय वित्त विभाग की आई.डी. संख्या–102200357 दिनांक 28.04.2022 द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

Rajasthan Education Department

भवदीय

(प्रवीण कुमार लेखरा)
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा/माध्य/अनुदान/2021 दिनांक: 31.05.2022

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक ।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. समस्त प्रधानाचार्य/कार्यालयाध्यक्ष
6. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्पयूटर अनुभाग कार्यालय हाजा ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर